

इन्द्राज दुरुस्ती

(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी

7/11/25

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 87

मे इन्द्राज दुरुस्ती बाबत।
प्रार्थी: - श्री प्रभुलाल पुत्र सोवल्या जाति-बैरवा निवाहजपुर बैरवा

महोदय

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 87 मे प्रार्थी की पिता माता का नाम जाति हिस्सा अंकित है।
अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता माता का नाम जाति हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी के पिता माता का नाम जाति हिस्सा बैरवा नाम- प्रभुलाल बैरवा जाति- बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक
गंगापूर सिटी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5847

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति- चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति- बैरवा दर्ज करवाने की अभिशंषा की जाती है।

7140
17/11/25

तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (सं.मां०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

क्रमांक

दिनांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण मे ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला सवाईमाधोपुर की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 मे खाता संख्या 87 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि जाति- चमार के स्थान पर जाति- बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते है।

2025
547

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

3108

7/11/25